मु॰न॰ 2024/104

FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

छोटू उर्फ अल्लादीन बनाम सरकार

किस्म मुकदमा बाजदायरी प्रा0पत्र मु0न0 8/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.01.2025	प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 24.02.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	
	24/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने यह प्रार्थना-पत्र बाजदायरी का होने से इसमें कोई राजहित नहीं होने जबाब पेश नहीं करना चाहते है। जबाब बन्द किया जाता है। बहस उभय पक्षों की सुनी गयी। प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त वर्णित वाद पत्र में आगामी पैशी 12.09.2024 दिनांक 12.07.2024 को नियत की गयी थी लेकिन वादीगण व उसके अधिवक्ता को सूचित किये बिना परिवर्तित कर पत्रावली में दिनांक 24.07.2024 पैशी नियत कर दी गई। दिनांक 24.07.2024 को बुद्धवार होने से सदैव की भांति वादीगण के पूर्व अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन पुष्कर व पीसांगन उपखण्ड न्यायालय के समक्ष प्रकरणों में पैरवी हेतु व्यस्त होने से इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व वादीगण को परिवर्तित पैशी की जानकारी नहीं होने से उपस्थित नहीं होने से वादीगण का वाद दिनांक 24.7.24 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त वाद से वादीगण के हित जुड़े हुए है जिससे दिनांक 24.7.24 के आदेश को निरस्त कर मूल वाद पुनः सुनवाई पर लिए जाने से वादीगण के हित प्रभावित होंगे। जिससे दिनांक 24.7.24 का आदेश निरस्त किया जाकर वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब पेश नहीं करना स्वीकार करने पर जबाब बन्द किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। 24.2.25	

P.T.O.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौरान बहस बताया है कि मूल वाद में दिनांक 15.7.24 को आगामी तारीख पेशी 12-9.24 नियत की गयी थी। जिसके बाद वादीगण व उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही पत्रावली में नियत पेशी में परिवर्तन कर दिनांक 24.7.24 नियत कर दी गयी। परिवर्तित दिनांक को बुधवार होने से वादी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय पुष्कर व पीसांगन में नियत प्रकरणों में पैरवी हेतु व्यस्त रहे व वादीगण को परिवर्तित तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। दिनांक 12-9.24 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने व दैनिक सूचि में पत्रावली सूचीबद्ध नहीं होने तथा न्यायालय संचालन के बाद जानकारी करने पर पत्रावली दिनांक 24.7.24 को ही खारिज होना पाया गया। तत्पश्चात लगातार अवकाश होने व उसके बाद वादीगण के पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाने से वादीगण उनकी देखभाल में व्यस्त रहे तथा बाद में दीपावली के अवकाश होने से वादीगण ने यह प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्य उचित प्रतीत होते हैं देरी से पेश करने का कारण भी उचित है। कानूनन वाद पत्र का निर्णय गुणावगुण के आधार पर साक्ष्य-सबूतों का विवेचन कर किया जाना चाहिए। न्यायहित में वादीगण का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 24.7.24 को अपास्त किया जाकर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नथी हो। [signature]

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर।